पत्र सं0:–14 / डी0एल0ए0 / पद सृजन (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर)–04 / 2022.....1647..................... / रा0,

ई–मेल

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांकः–...5-12-22.........

विषयः– **विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित की जा रही भूमि के अर्जन की कार्रवाई में ली जानेवाली आकस्मिकता व्यय की राशि के उपयोग के संबंध में।**

प्रसंगः– **निदेशालय का ज्ञापांक–959 दिनांक–16.08.2022**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–30.07.2022 को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों के अनुरोध के आलोक में कार्यवाही की कंडिका–3 में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक जिला भू–अर्जन कार्यालय में दो–दो अदद कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाय।

2– उक्त की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि राज्य अंतर्गत विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित की जा रही भूमि के अर्जन की कार्रवाई में बिहार भू–अर्जन नियमावली–2014 यथा संशोधित, 2018 में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं, जिसमें परियोजना के विभिन्न कार्यों यथा–लेखन सामग्री, पी0ओ0एल0, अन्य आकस्मिक खर्च जैसे वाहन, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन, ड्राफ्ट्समैन आदि के खर्चे पर उपयोग किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।

3– उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु अर्जित की जा रही भूमि हेतु प्राप्त आकस्मिकता की राशि का व्यय कतिपय जिला द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं प्राप्त राशि बिना व्यय किये संचित है।

4– अतएव समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया है कि बिहार भू–अर्जन नियमावली–2014 यथा संशोधित, 2018 में प्रावधान के आलोक में आकस्मिकता व्यय के लिए प्राप्त प्रतिकर की राशि से प्रत्येक जिला भू–अर्जन कार्यालय में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर का कय एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाय, ताकि भू–अर्जन के कार्यों में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो तथा विभाग स्तर पर विकसित एम0आइ0एस0 पोर्टल पर भी अद्यतन सूचना की प्रविष्टि ससमय की जा सके।

5–भू–अर्जन के कार्य मे कम्प्यूटर / कम्प्यूटर ऑपरेटर के कारण किसी प्रकार की विलंब की स्थिति में जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन,

(सुशील कुमार)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

पत्र सं0:–14/डी0एल0ए0/पद सृजन (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर)–04/2022................................/रा0,

ई–मेल

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

सुशील कुमार,
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना, दिनांक:–....................................

विषय:– **विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित की जा रही भूमि के अर्जन की कार्रवाई में ली जानेवाली आकस्मिकता व्यय की राशि के उपयोग के संबंध में।**

प्रसंग:– **निदेशालय का ज्ञापांक–959 दिनांक–16.08.2022**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–30.07.2022 को जिला भू–अर्जन पदाधिकारी की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों के अनुरोध के आलोक में कार्यवाही की कंडिका–3 में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक जिला भू–अर्जन कार्यालय में दो–दो अदद कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाय।

2– उक्त की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि राज्य अंतर्गत विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित की जा रही भूमि के अर्जन की कार्रवाई में बिहार भू–अर्जन नियमावली–2014 यथा संशोधित, 2018 में स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं, जिसमें परियोजना के विभिन्न कार्यों यथा–लेखन सामग्री, पी0ओ0एल0, अन्य आकस्मिक खर्च जैसे वाहन, कम्प्यटूर, कम्प्यटूर ऑपरेटर, अमीन, ड्राफ्ट्समैन आदि के खर्चे पर उपयोग किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।

3– उल्लेखनीय है कि परियोजना हेतु अर्जित की जा रही भूमि हेतु प्राप्त आकस्मिकता की राशि का व्यय कतिपय जिला द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं प्राप्त राशि बिना व्यय किये संचित है।

4– अतएव समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया है कि बिहार भू–अर्जन नियमावली–2014 यथा संशोधित, 2018 में प्रावधान के आलोक में आकस्मिकता व्यय के लिए प्राप्त प्रतिकर की राशि से प्रत्येक जिला भू–अर्जन कार्यालय में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर का कय एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की कृपा की जाय, ताकि भू–अर्जन के कार्यों में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो तथा विभाग स्तर पर विकसित एम0आइ0एस0 पोर्टल पर भी अद्यतन सूचना की प्रविष्टि ससमय की जा सके।

5–भू–अर्जन के कार्य मे कम्प्यूटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर के कारण किसी प्रकार की विलंब की स्थिति में जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन
ह0/–
(सुशील कुमार)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक–......1647......../रा0, पटना, दिनांक–5-12-.......**2022**

प्रतिलिपि:–सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/12/22

निदेशक
भू–अर्जन, बिहार।

E:\Pappu\Shive ji\2022\Field Office\Letters_2022.docx